संख्या 1/16/2011–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक – 08.12. 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः कुटुम्ब पेंशन – दिवगंत पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशन भोगी के परिवार के दावेदार सदस्य (पति/पत्नी के अतिरिक्त) द्वारा फार्म 14, पी.पी.ओ. और मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए दस्तावेजों की सूची – के संबंध में।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में किसी पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद कुटुम्ब पेंशन के आवेदन के समय परिवार के दावेदार सदस्य (पति/पत्नी के अतिरिक्त) द्वारा फार्म (फार्म 14), पी.पी.ओ. और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों, आय के प्रमाणपत्र सहित, के संबंध में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले पर दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को आयोजित *स्कोवा* की 20वीं बैठक में भी (कार्यवृत्त की मद संख्या 92) गहनता से विचार किया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि पेंशन और पेंशनभेगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऐसे दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/51/97–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई) दिनांक 21.07.1999 में यह दर्शाया गया है कि उन व्यक्तियों से, जो स्वतः नियोजित है अथवा नियोजन के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं, आय से संबंधित एक स्वतः प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकता है। इस कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति *स्कोवा* की सभी सदस्य एसोसिएशनों को भेजने का निर्णय भी लिया गया।

2. यह सूचित किया जाता है कि किसी पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद कुटुम्ब पेंशन के लिए परिवार के किसी दावेदार सदस्य द्वारा पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र और पी.पी.ओ. के साथ फार्म 14 में प्रस्तुत किए गए दावे पर वेतन और लेखा अधिकारी के परामर्श में कार्यवाही की जा सकती है, जो पेंशन फाइल का अभिरक्षक है। जिसमें पेंशनभोगी के सभी सम्बद्ध फार्म और जानकारी अन्तर्निहित है। किसी ऐसे विरल मामले में, जहां दावेदार सदस्य का नाम कार्यालय प्रमुख तथा संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी के रिकार्डों में उपलब्ध नहीं है और दावेदार सदस्य पी.पी.ओ. अथवा दिवंगत कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए "परिवार के विवरण" को दर्शाने करने वाले फार्म 3 की प्रति प्रस्तुत करने में भी असफल रहता है तो फार्म 14 की क्रम संख्या 9 (v) पर निर्धारित किए गए प्रमाणपत्र स्वीकार किए जा सकते हैं। इन प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त, पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र और आधार संख्या भी स्वीकार किए जा सकते हैं। वोटर पहचान पत्र और आधार संख्या इस शर्त पर स्वीकार किए जा सकते हैं कि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी यह प्रमाणित करे कि वह मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं है और उसके पास फार्म 14 में इंगित अथवा ऊपर उल्लेखित कोई भी दस्तावेज नहीं है। इन दस्तावेजों के अतिरिक्त, मंत्रालय/विभाग दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई अन्य दस्तावेज़ स्वीकार कर सकते हैं जिसपर भरोसा किया जा सकता है और जो पेंशनभोगी के साथ दावेदार का रिश्ता स्थापित करता है और/अथवा जिसमें उसकी जन्मतिथि अन्तर्निहित है।

3. आवेदक को यह भी सिद्ध करना है कि परिवार में कोई अन्य जीवित सदस्य, जिसकी परिवार पेंशन के लिए पूर्व हकदारी हो, पात्र नहीं है। इस प्रयोजन के लिए अन्य सदस्यों के उपर्युक्त और/अथवा कोई अन्य दस्तावेज जैसे विवाह/मृत्यु/आय प्रमाणपत्र, जो कि ऐसी स्थिति में अनिवार्य हो सकता है, का प्रयोग किया जा सकता है।

4. जैसा कि *स्कोवा* बैठक में निर्णय लिया गया था, सभी मंत्रालयों/विभागों/एसोसिएशनों को परिचालन हेतु कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/51/97– पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई) दिनांक 21.07.1999 की प्रति संलग्न है।

(हस्ताक्षर) सोलंकी

(दर्शन कुमार सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 24644632

सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन।

विभाग में उपलब्ध सूची के अनुसार सभी पेंशनभोगी एसोसिएशंस।

एन.आई.सी को प्रति प्रेषित इसे संलग्नकों सहित पेंशन एंव पेंशनभोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए।

(हस्ताक्षर) सोलंकी

(दर्शन कुमार सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार